

प्रेषक,

कुमार रवि,
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-25/09/2026

विषय:- राज्य के 12 चिकित्सीय संस्थानों में नामांकन के आधार पर C-DAC द्वारा विकसित e-SushrutNX Application को लागू करने तथा इस पर 3 वर्षों के लिए होने वाले व्यय की राशि रु० 29,79,85,000/- (रुपये उनतीस करोड़ उनासी लाख पचासी हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्य संतोषप्रद रहने की स्थिति में 2 वर्षों के लिए रु० 10,98,39,000/- (रुपये दस करोड़ अठानबे लाख उनतालीस हजार) मात्र की लागत पर योजना की अवधि विस्तार किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को आमजनों तक सुगमतापूर्वक एवं एक समान रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार संकल्पित है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा 9 (नौ) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों एवं 3 (तीन) सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों अर्थात् कुल 12 (बारह) संस्थानों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, नैदानिक एवं प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने, सेवाओं के विस्तार तथा रेफरल पॉलिररी, 2023 को पूर्णतः प्रभावी तरीके से संचालन हेतु एक व्यापक एकीकृत एवं समन्वित डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के उद्देश्य से Centre for Development of Advanced Computing (A Scientific Society of the Ministry of Electronics & Information Technology, Govt. of India), नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित e-SushrutNX Application (ABDM Compliant Hospital Management Information System) को लागू किया जाना है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission) ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों लिए ABDM Compliant HMIS (Hospital Management Information System) सॉफ्टवेयर का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है।

2- वर्तमान में C-DAC के द्वारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखण्ड एवं तेलंगाना आदि अन्य राज्यों के चिकित्सा संस्थानों में e-SushrutNX Software पर सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत के 17 AIIMS (AIIMS पटना सहित), JIPMER, PGIMER चंडीगढ़, IGIMS, पटना में इस सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन सुचारु रूप से किया जा रहा है एवं इससे मरीजों को बेहतर सुविधायें मिल रही हैं।

3- स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, नैदानिक एवं प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने तथा सेवाओं के विस्तार हेतु एक एकीकृत एवं समन्वित Digital Platform बनाने के उद्देश्य से C-DAC द्वारा विकसित e-SushrutNX Application (ABDM Compliant Hospital Management Information System) को लागू होने पर स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबंधन को सुगम बनाने, रोगी देखभाल में सुधार, निर्बाध रूप से सूचना का आदान-प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड की संचय, फार्मसी, प्रयोगशाला, रेडियोलॉजी, बिलिंग, इन्वेंटरी प्रबंधन, ऑपरेशन थिएटर प्रबंधन एवं शैक्षणिक गतिविधियों में नवाचार, संसाधनों के इष्टतम उपयोग, वास्तविक समय में निगरानी, रिपोर्टिंग, डेटा-आधारित प्रतिवेदन प्राप्त होने से निर्णय लेने में सहायता तथा राज्य में अवस्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा मिलेगी।

4- C-DAC के उक्त Application का भारत सरकार के Applications-e-Sanjeevani, e-Raktkosh, e-Upkaran, e-Aushadhi इत्यादि के साथ API Integration किया गया है। राज्य सरकार द्वारा C-DAC के e-SushrutNX Application (ABDM Compliant Hospital Management Information System) को उक्त सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों/सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में लागू किये जाने पर पूर्व से जिला अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र के स्तर तक लागू BHAHYA प्रणाली का C-DAC के उक्त Application के साथ API Integration किये जायेंगे ताकि जिला अस्पतालों से मरीजों को आसानी से चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों/सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में डिजिटली रेफर किये जाने की अनुशंसा में मदद मिलेगी।

5- C-DAC द्वारा विकसित e-SushrutNX Application (ABDM Compliant Hospital Management Information System) को 3 वर्षों के लिए निम्न 12 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों/सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में लागू किया जाना है:-

- (i) पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
- (ii) नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
- (iii) दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा।
- (iv) श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
- (v) जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
- (vi) अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गयाजी।
- (vii) भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा।
- (viii) राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, देतिया, पश्चिम चम्पारण।
- (ix) जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा।
- (x) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना।
- (xi) अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, राजेन्द्र नगर, पटना।
- (xii) सुपर स्पेशलिटी गार्डिनर अस्पताल, पटना।

6- तदक्रम में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-3460 दिनांक-08.09.2026 द्वारा राज्य के 12 चिकित्सीय संस्थानों में नामांकन के आधार पर C-DAC द्वारा विकसित e-SushrutNX Application को लागू करने तथा इस पर 3 वर्षों के लिए होने वाले व्यय हेतु रु० 29,79,85,000/- (रुपये उनतीस करोड़ उनसी लाख पचासी हजार) मात्र की राशि अकलित की गयी है। साथ ही योजना की तीन वर्षों की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में अगले दो वर्षों के लिए रु० 10,98,39,000/- (रुपये दस करोड़ नब्बे लाख उनतालीस हजार) की लागत अकलित है।

7- C-DAC द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों/सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के डिजिटलीकरण के लिए e-SushrutNX Application (ABDM Compliant Hospital Management Information System) को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना को उपलब्ध कराये गए लागत प्रस्ताव प्रारूप (Draft Cost Proposal) में वर्णित कार्ययोजना के अनुरूप कार्य किया जायेगा।

8- इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग संख्या-20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, राद्य शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0131-सुलभ स्वास्थ्य-सुरक्षित जीवन (सात निश्चय-3) विपत्र कोड-20-2210011100131, विषय शीर्ष-(28-04)-व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाये मद अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

संगत विपत्र कोड अंतर्गत संबंधित विषय शीर्ष में वर्तमान में राशि का उपबध नहीं है, जिसका प्रावधान पुनर्विनियोग/अनुपूरक आगणन/बिहार आकस्मिकता निधि से किया जायेगा। इस कार्य हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को उनके पी०एल० खाते में राशि आवंटित की जायेगी।

9- यह कार्य राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति एवं संबंधित संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) किया जायेगा।

10- उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के 12 चिकित्सीय संस्थानों में नामांकन के आधार पर C-DAC द्वारा विकसित e-SushrutNX Application को लागू करने तथा इस पर 3 वर्षों के लिए होने वाले व्यय की राशि रु० 29,79,85,000/- (रुपये उनतीस करोड़ उनासी लाख पचासी हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्य संतोषप्रद रहने की स्थिति में 2 वर्षों के लिए रु० 10,98,39,000/- (रुपये दस करोड़ अठानबे लाख उनतालीस हजार) मात्र की लागत पर योजना की अवधि विस्तार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

11- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

12- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA011 विपत्र कोड-00-8448001200027-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

13- राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

14- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2330/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 12888/वि०, सं०-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

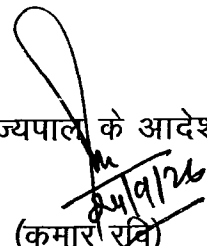
15- प्रस्ताव को दिनांक-23.09.2026 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-17 के संमिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

16- राज्यादेश प्रारूप में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/बजट-46-09/2026 के पृष्ठ-4/टि० में प्राप्त है।

17- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

18- यह मात्र राज्यादेश है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(कुमार रवि)
सचिव
Kumar

ज्ञापांक:-7/बजट-46-09/2026 - 341(7A)/स्वा0, पटना, दिनांक- 25/09/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-23.09.2026 में मद संख्या-17 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्राचार्य एवं अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/अधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना, अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, राजेन्द्र नगर, पटना, सुपर स्पेशलिटी गार्डिनर अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-1 एवं 10 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

25/9/26
सचिव
Kunai